

09/08/24

पत्रावली वादी मध्य वकील के प्रार्थना पत्र पर तलब ली गई। वादी मध्य वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते विद्वो करने पत्रावली का पेशा कर निवेदन किया कि पेशावे में गांव के मौजिज लोगों ने सपशॉट करवा दिया है। अतः वादी वास को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वास विद्वो किया जावे।

न्यायाधिकारवादी मध्य वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वास को आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाए वास जलिये विद्वो खारीज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल खुल होकर दाखिल दखल हो। संज्या ले मप्रधा

अ. न. र.
21/8/24

(वादी वकील)

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

